

रामपुर जनपद में नगरीय अधिवासों और उनकी जनसंख्या की समस्याओं का विप्लेषण

डा० श्याम सिंह
प्रोफेसर एवं पर्यवेक्षक
भूगोल विभाग

रविचन्द्र
षोडार्थी
भूगोल विभाग

हिन्दू कालेज, मुरादाबाद

षोध सारांष

आज किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध उसकी मानव जनसंख्या को सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। वास्तव में किसी क्षेत्र में उपलब्ध सुषिक्षित व दक्ष मानव जनसंख्या ही वह प्राथमिक आधारभूत तत्व व संसाधन है जो उस क्षेत्र में स्थानीय रूप से उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों— भूमि, जल, जलवायु, भूगर्भ में संचित खनिजों के साथ ही अन्य निकस्थ—दूरस्थ क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों को कच्चे व तैयार माल के रूप में आयातोंपरान्त अपने लिए उपयोगी बनाकर उनसे ऐसी वस्तुएँ व मषीनें बनाता है जो स्थानीय जनसंख्या के साथ—साथ विष्वभर की जनसंख्या को अनेक प्रकार की उपभोक्ता और पूँजीगत वस्तुएँ मषीनें, उपकरण इत्यादि उपलब्ध कराता है। इसलिए सभी प्रकार के अध्ययनों में मानव जनसंख्या (मानव संसाधन) को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। निवास स्थलों के आधार पर विष्वभर में सभी प्रकार के मानव संसाधन को दो प्रमुख वर्गों— 1. ग्रामीण और 2. नगरीय अधिवासों में विभक्त किया जाता है। प्रस्तुत षोध पत्र में इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जनपद की नगरीय जनसंख्या का भौगोलिक विप्लेषण किया गया है।

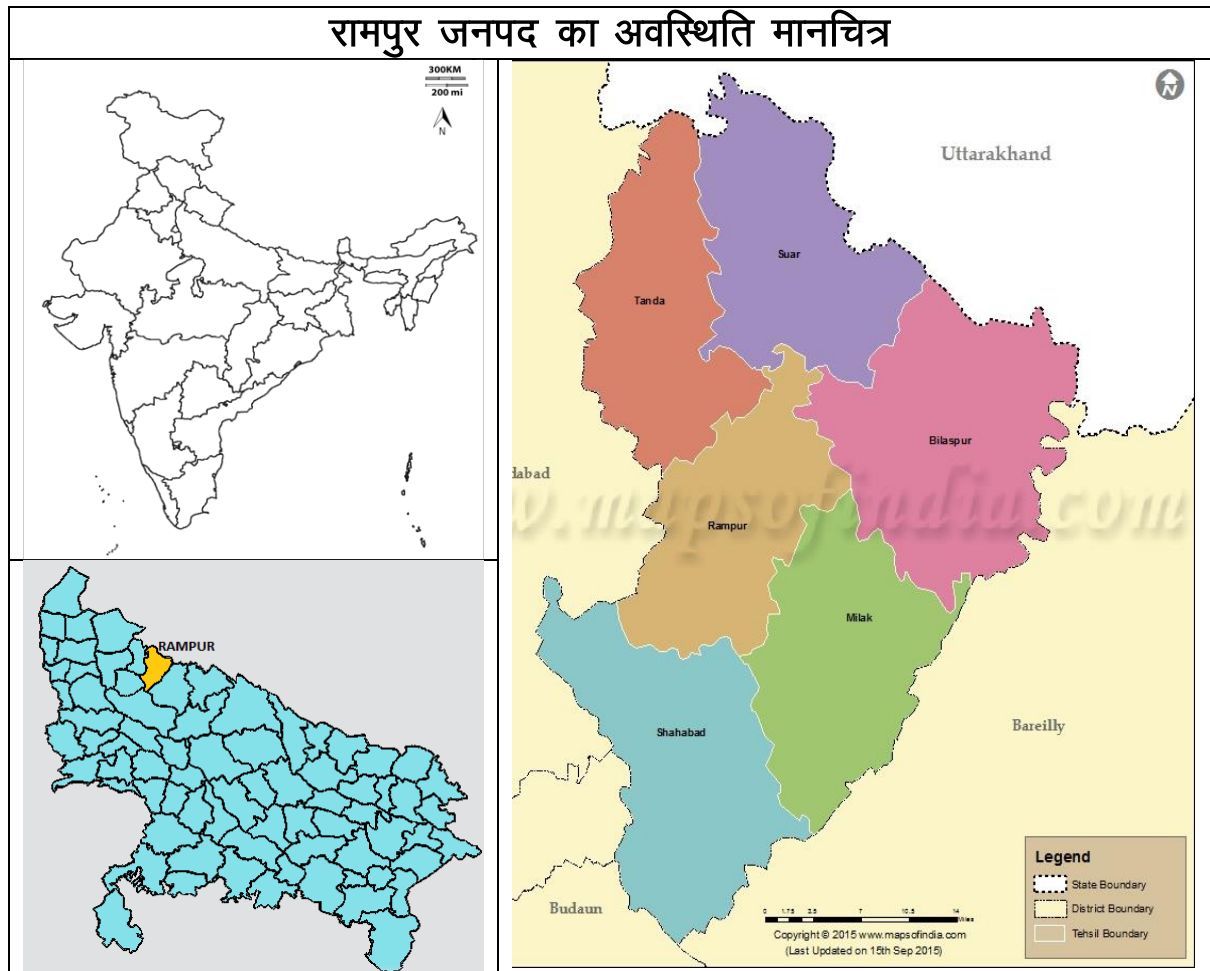
महत्वपूर्ण षब्दावली

अधिवास, नगर, कृषि, आर्थिक क्षमता, मलिन बस्ती, रैम्प, अतिक्रमण, सीवेज ट्रीटमेंट

परिचय

अध्ययन के लिए चयनित रामपुर जनपद, पष्विमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मण्डल का एक प्रमुख जनपद है। इस जनपद का विस्तार $28^{\circ} 25''$ से $29^{\circ} 10'$ उ० और $78^{\circ} 54'$ से $79^{\circ} 28'$ पूर्व देशान्तर तक है। जनपद का क्षेत्रफल 2,367 वर्ग किमी० और 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 23,35,819 व्यक्ति है। जनसंख्या का गणितीय घनत्व 987 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. है। जनपद की उत्तरी सीमा पर उत्तराखण्ड राज्य का उधमसिंह नगर जनपद, पूर्वी सीमा पर उत्तर प्रदेश राज्य का बरेली जनपद और दक्षिणी सीमा पर बदायूँ जनपद, संभल जनपद और पष्विमी सीमा पर मुरादाबाद जनपद स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र रामगंगा की सहायक कोसी, पीलाखार, भाखड़ा और अन्य स्थानीय नदियों

के दोआब पर स्थित समतल नदीकृत मैदान का अंग है। जनपद की सागर तल से अधिकतम ऊँचाई 228 मीटर (उत्तरी सीमा पर) है। प्रशासनिक दृष्टि से जनपद में 06 तहसील— स्वार, टाण्डा, रामपुर, बिलासपुर, षाहबाद और मिलक और, 06 ही विकास खण्ड स्वार, सैदनगर, चमरौवा, बिलासपुर, षाहबाद और मिलक में विभाजित है। जनपद में 556 ग्राम पंचायत तथा कुल 939 आवासित गाँव हैं। जनपद में विभिन्न श्रेणी के 10 नगरीय अधिवास भी हैं।



तालिका सं. 01: रामपुर जनपद महत्वपूर्ण सूचनाएं

क्रम	संकेतक या तथ्य	विवरण
1	अक्षांशीय विस्तार	28° 25'' से 29° 10'' उ०
2	देशान्तरीय विस्तार	78° 54 से 79° 28 पूर्व
3	भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किमी.	2367
4	जनसंख्या 2011 कुल	2335819 व्यक्ति
5	जनसंख्या 2011 ग्रामीण	1747172 व्यक्ति (74.83 प्रतिषत)
6	जनसंख्या 2011 नगरीय	588647 व्यक्ति (25.17 प्रतिषत)
7	तहसीलों की संख्या	06
8	विकास खण्डों की संख्या	06
9	संवैधानिक नगरों की संख्या	08
10	जनगणना नगरों की संख्या	02
11	गाँवों की संख्या	1163
12	सागर तल से औसत ऊँचाई	192 मीटर (रामपुर नगर केन्द्र)
13	औसत वार्षिक तापमान से.ग्रे. में	29.26 से.ग्रे. में
14	औसत वार्षिक वर्षा सेमी. में	80.0 सेमी.

स्रोत: रामपुर जनपद जनगणना हस्तपुस्तिका भाग 12 अ

रामपुर जनपद सांख्यिकीय पत्रिका 2021

तालिका सं. 01 में दी गयी सूचनाओं के अनुसार रामपुर जनपद ग्रामीण जनसंख्या की अधिकता (74.83 प्रतिषत) वाला जनपद है जो कि कृषि प्रधान पृष्ठभूमि वाला क्षेत्र है जहाँ पर नदियों द्वारा बिछायी गयी उपजाऊ मृदा में सिंचाई की सहायता से परिस्थिति अनुसार वर्ष में दो से तीन फसलें— रबी, खरीफ और जायद पैदा की जाती हैं।

1.1 नगर और नगरीकरण

नगर और नगरीकरण शब्द उतने ही प्राचीन हैं जितनी कि स्वयं मानव सभ्यताएं। सामान्यतया नगर कस्बा या शहर से अभिप्राय ऐसे मानवीय अधिवास से है जिसमें स्थानीय प्रशासन के लिए एक संवैधानिक निकाय (Body) के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियां गैर-प्राथमिक क्षेत्र से सम्बन्धित हों। साथ ही यह भी सत्य है कि लम्बे मानव इतिहास में कोई ग्रामीण क्षेत्र ही अवसर और केन्द्रीयता पाकर नगरीय अधिवास में

रूपान्तरित हो जाता है। पृथ्वी पर मानव जीवन के इतिहास में ऐसा दिन अवश्य रहा होगा कि उस दिन कोई भी नगर अस्तित्व में नहीं होगा। फिर एक के बाद एक छोटे से बड़े नगर क्रमिक रूप से अस्तित्व में आए होंगे।

1.2 रामपुर जनपद में नगरीकरण और नगरीय जनसंख्या का वितरण 1991–2011

जहाँ तक अध्ययन क्षेत्र रामपुर जनपद में नगर के जन्म और नगरीय विस्तार का प्रश्न है, तालिका सं. 02 के अनुसार 1901 की जनगणना के समय कुल चार 1. रामपुर (78758) 2. टाण्डा (7983), 3. बिलासपुर (4448) और 4. षाहाबाद (7338) नगर थे। जिनकी कुल जनसंख्या 98,527 व्यक्ति थी जो कि जनपद की कुल जनसंख्या 546151 की 18.04 प्रतिशत थी।

बाद के दशकों में इस जनपद की नगरीय जनसंख्या में उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं। जैसे 1901–19011 के दशक में नगरीय जनसंख्या में कमी दर्ज की गयी। यह घटकर 16.04 प्रतिशत रह गयी। 1911–1921 के दशक में 3.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। 1921–1931 के दशक में 0.26 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी। 1931–1941 के दशक में 6.49 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गयी। अब नगरीय जनसंख्या बढ़कर 25.57 प्रतिशत हो गयी। 1941–51 के दशक में 6.56 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी जो कि अब बढ़कर 31.13 प्रतिशत सर्वकालीन अधिकतम हो गयी। 1951–1961 के दशक में नगरीय जनसंख्या में पुनः गिरावट दर्ज की गयी। अब नगरीय जनसंख्या घटकर 20.81 प्रतिशत रह गयी। इस प्रकार नगरीय जनसंख्या में 10.32 प्रतिशत की सर्वाधिक गिरावट हुई।

आगामी दशक 1961–71 में नगरीय जनसंख्या में 1.28 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी। अब यह घटकर 19.53 प्रतिशत रह गयी। दूसरी ओर आगामी दशक 1981–1971 के दशक में जनपद की नगरीय जनसंख्या में 7.21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी, जो कि अब बढ़कर 26.74 प्रतिशत हो गयी। 1991–1981 के दशक में पुनः नगरीय जनसंख्या में 0.60 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी। अब यह घटकर 26.14 प्रतिशत हो गयी। आगामी दशक 2001–1991 में यह 1.17 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24.97 प्रतिशत रह गयी। 2011–2001 के दशक में इसमें 0.20 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गयी। 2011 में रामपुर जनपद की नगरीय जनसंख्या 25.17 प्रतिशत रही जो कि राष्ट्रीय औसत 32 प्रतिशत से 8 प्रतिशत कम है।

तालिका सं. 02: रामपुर जनपद में कुल, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या वृद्धि 1901 से 2011

क्रम	नगर का नाम	1901	1911	1921	1931	1941	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	रामपुर	78758	74316	73156	74216	89322	134277	135407	161417	204610	243742	281494	325313
2	टाण्डा	7983	2638	6963	7240	8404	8763	10575	14628	20424	29328	40013	48059
3	बिलासपुर	4448	4786	4249	3996	5345	4829	—	—	20032	26463	35751	43908
4	शाहाबाद	7338	5622	5771	5793	5934	9269	—	—	18313	25128	32370	38276
5	स्वार	—	—	—	—	6217	5554	—	—	14935	19782	26149	32158
6	मिलक	—	—	—	—	5604	6629	—	—	14470	18962	25576	30553
7	केमरी	—	—	—	—	—	5021	—	—	13537	17481	23871	28698
8	मसवासी	—	—	—	—	—	—	—	—	8786	11830	15229	17737
9	अजीतपुर ज. न.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15373
10	सैजनी ज. न.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8572
	कुल योग	98527	87362	90139	91245	120826	174342	145982	176045	315107	392716	480453	588647
	प्रतिशत	18.04	16.04	19.34	19.08	24.57	31.13	20.81	19.53	26.74	26.14	24.97	25.17
	ग्रामीण जनसंख्या	442271	455038	370747	387098	370968	385675	555555	725164	863514	1109425	1443286	1747172
	कुल जनसंख्या	546151	544695	466059	478343	491794	560017	701537	901209	1178621	1502141	1923739	2335819

स्रोत: रामपुर जनपद जनगणना हस्तपुस्तिका भाग 12 अ एवं रामपुर जनपद— जिला सांख्यिकीय पत्रिका 2021

1.3 रामपुर जनपद की नगरीय जनसंख्या का वितरण 2001–2011

तालिका सं० 03 में वर्ष 2001 से 2011 तक में रामपुर जनपद की कुल और ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या का विवरण दिया गया है। तालिका के अनुसार वर्ष 2011 में रामपुर जनपद में कुल 10 नगरीय अधिवास हैं।

तालिका सं. 03: रामपुर जनपद में कुल, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या वृद्धि 2001 – 2011

		2001	2011	2001–2011 के दशक में परिवर्तन	
				सकल परिवर्तन	प्रतिशत परिवर्तन
1	2	3	4	5	6
1	रामपुर	281494	325313	43819	+15.58
2	टाण्डा	40013	48059	8046	+20.11
3	बिलासपुर	35751	43908	8157	+22.81
4	शाहाबाद	32370	38276	5906	+18.25
5	स्वार	26149	32158	6009	+22.98
6	मिलक	25576	30553	4977	+19.46
7	केमरी	23871	28698	4827	+20.22
8	मसवासी	15229	17737	2508	+16.47
9	अजीतपुर ज. न.	—	15373	—	—
10	सैजनी ज. न.	—	8572	—	—
	कुल योग	480453	588647	108194	+22.52
		24.97	25.17	0.20	+0.20
	ग्रामीण जनसंख्या	1443286	1747172	303886	+21.06
	कुल जनसंख्या	1923739	2335819	412080	+21.42

स्रोत: रामपुर जनपद जनगणना हस्तपुस्तिका भाग 12 अ

रामपुर जनपद सांख्यिकीय पत्रिका 2021

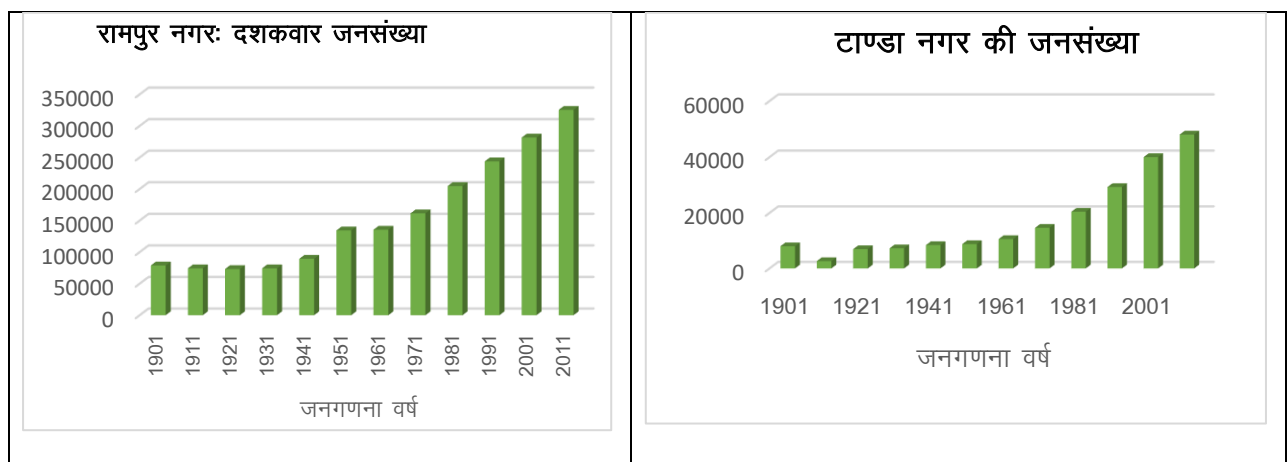
तालिका सं. 03 के अनुसार रामपुर जनपद का **सबसे बड़ा नगर** कोसी नदी के दहिनी किनारे पर स्थित **रामपुर** है जो कि जनपद का प्रशासनिक मुख्यालय है। 2001 में इसकी जनसंख्या 281494 व्यक्ति थी जो कि 2011 में 325313 व्यक्ति हो गयी। इस प्रकार 2001 से 2011 के दशक में नगर 43819 व्यक्तियों की सकल जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गयी जो कि 2001 की तुलना में +15.58 प्रतिशत है।

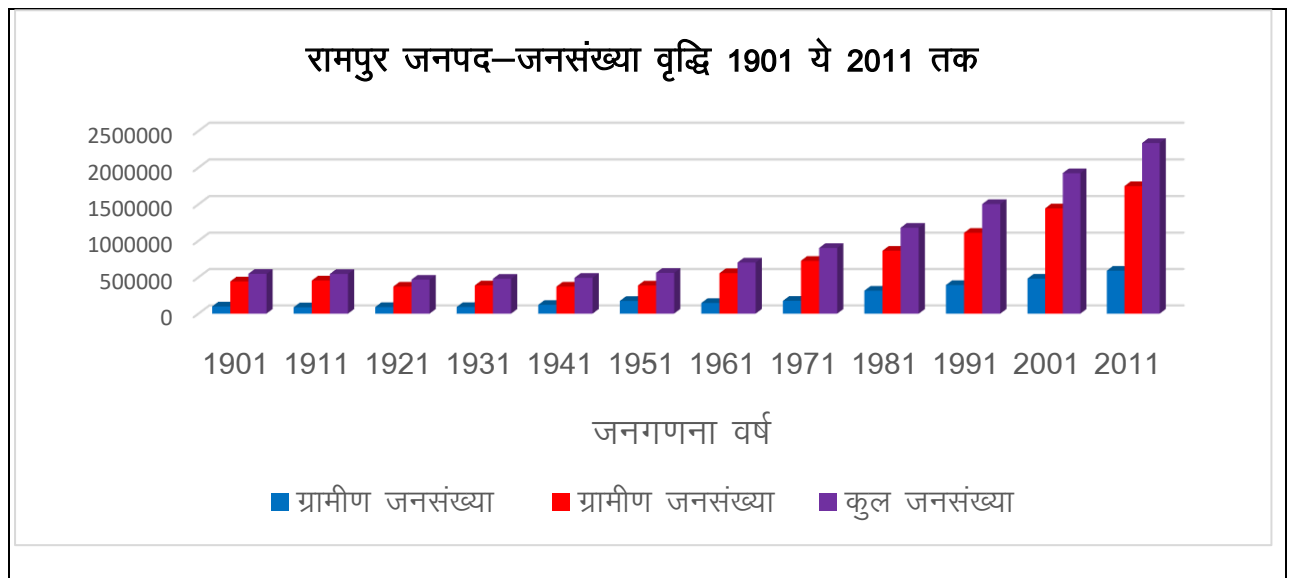
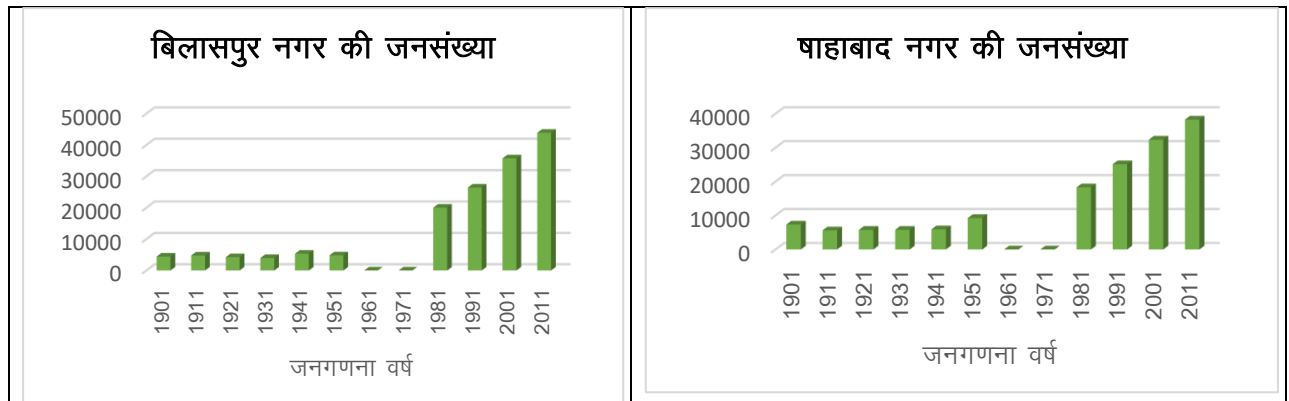
जनपद का दूसरा बड़ा नगर **टाण्डा** है यह स्थानीय सरयू नामक नदी के किनारे पर स्थिति है। 2001 में इसकी जनसंख्या 40,013 व्यक्ति थी जो कि 2011 में 48059 व्यक्ति हो गयी। इस प्रकार 2001 से 2011 के दशक में नगर की सकल जनसंख्या में 8046 व्यक्तियों की वृद्धि दर्ज की गयी जो कि 2001 की तुलना में +22.81 प्रतिशत है।

जनपद का तीसरा बड़ा नगर स्थानीय भाखड़ा नदी के किनारे स्थित **बिलासपुर** है। 2001 में इसकी जनसंख्या 35751 व्यक्ति थी जो कि 2011 में 43908 व्यक्ति हो गयी। इस प्रकार 2001 से 2011 के दशक में नगर की सकल जनसंख्या में 8157 व्यक्तियों की वृद्धि दर्ज की गयी जो कि 2001 की तुलना में +22.81 प्रतिशत है।

जनपद का चौथा बड़ा नगर **षाहाबाद** है यह नगर कोसी औश्र रामगंगा नदियों के संगम के पास स्थित है। 2001 में इसकी जनसंख्या 32370 व्यक्ति थी जो कि 2011 में 38276 व्यक्ति हो गयी। इस प्रकार 2001 से 2011 के दशक में नगर की सकल जनसंख्या में 5909 व्यक्तियों की वृद्धि दर्ज की गयी जो कि 2001 की तुलना में +22.81 प्रतिशत है।

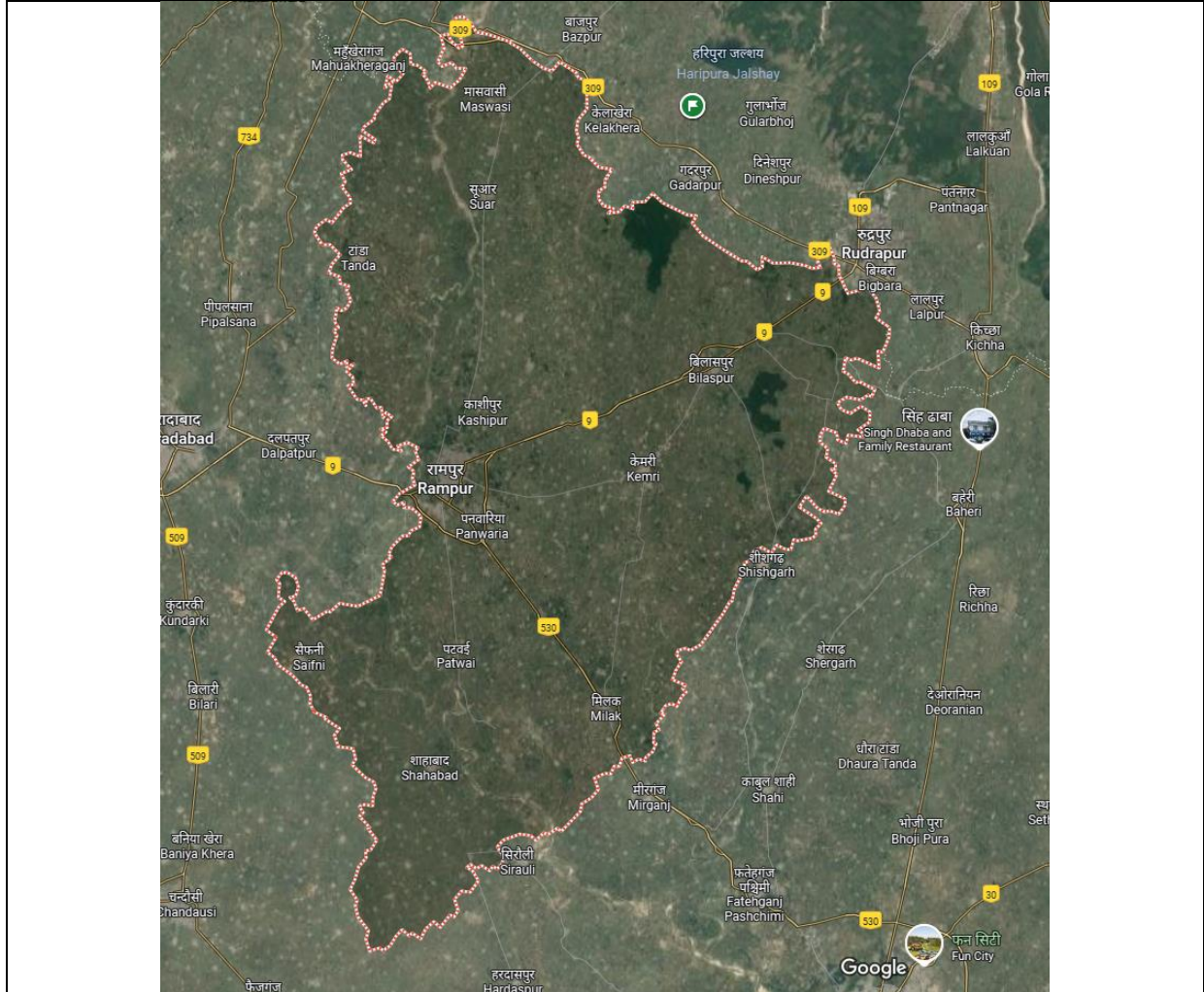
रामपुर जनपद की जनसंख्या वृद्धि का आलेखी निरूपण (1901–2011)

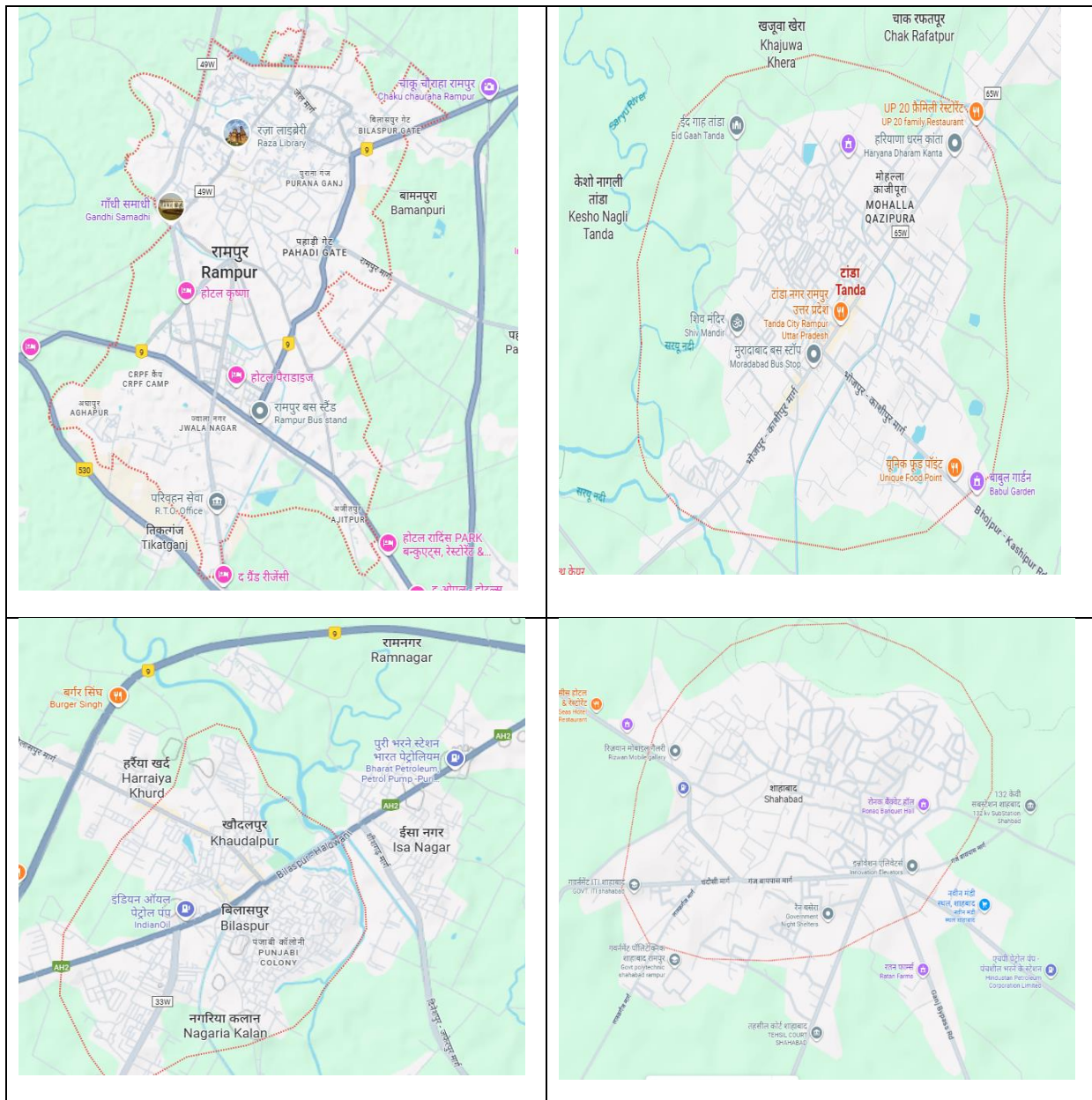




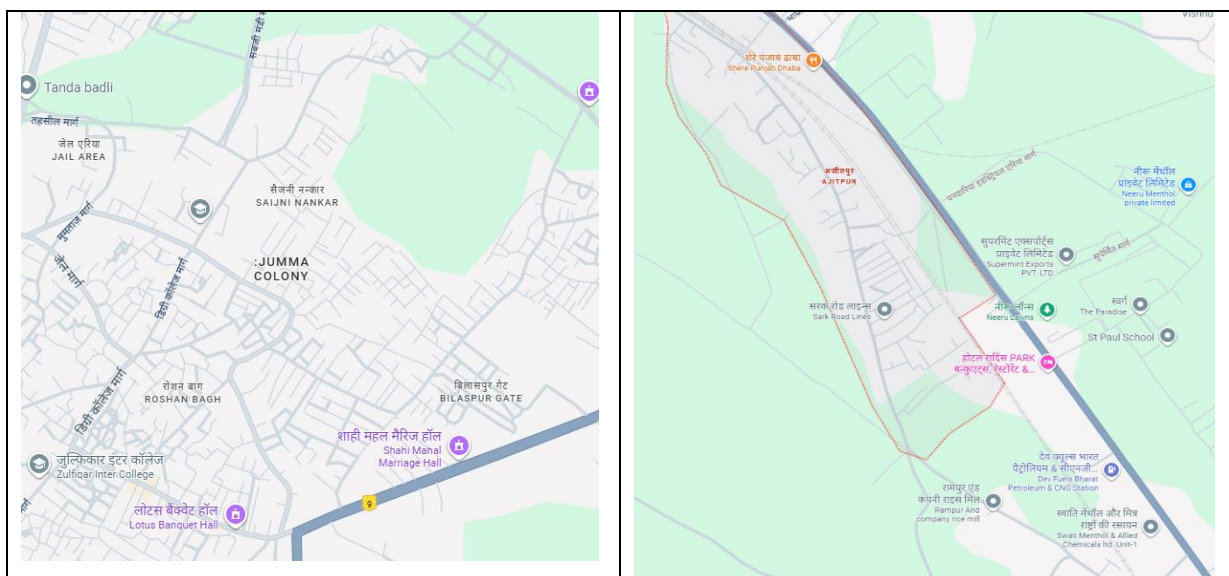
जनपद का पाँचवा बड़ा नगर **स्वार** है जो कि कोसी नदी के किनारे स्थित है। 2001 में इसकी जनसंख्या 26149 व्यक्ति थी जो कि 2011 में 32158 व्यक्ति हो गयी। इस प्रकार 2001 से 2011 के दशक में नगर की सकल जनसंख्या में 6009 व्यक्तियों की वृद्धि दर्ज की गयी जो कि 2001 की तुलना में +18.25 प्रतिशत है।

रामपुर जनपद और उसके विविध नगरों के गूगल से प्राप्त मानचित्र









जनपद का छठा बड़ा नगर **मिलक** है। 2001 में इसकी जनसंख्या 25576 व्यक्ति थी जो कि 2011 में 30553 व्यक्ति हो गयी। इस प्रकार 2001 से 2011 के दशक में नगर की सकल जनसंख्या में 4977 व्यक्तियों की वृद्धि दर्ज की गयी जो कि 2001 की तुलना में +22.98 प्रतिशत है।

जनपद का सातवां बड़ा नगर **केमरी** है जो कि पीलाखार नामक नदी के किनारे स्थित है। 2001 में इसकी जनसंख्या 23871 व्यक्ति थी जो कि 2011 में 28698 व्यक्ति हो गयी। इस प्रकार 2001 से 2011 के दशक में नगर की सकल जनसंख्या में 4827 व्यक्तियों की वृद्धि दर्ज की गयी जो कि 2001 की तुलना में +20.22 प्रतिशत है।

जनपद का आठवां बड़ा नगर **मसवासी** है। यह नगर जनपद के उत्तरी भाग में कोसी नदी के किनारे स्थित है। 2001 में इसकी जनसंख्या 15229 व्यक्ति थी जो कि 2011 में 17737 व्यक्ति हो गयी। इस प्रकार 2001 से 2011 के दशक में नगर की सकल जनसंख्या में 2508 व्यक्तियों की वृद्धि दर्ज की गयी जो कि 2001 की तुलना में +16.47 प्रतिशत है।

अजीतपुर और सैजनी जनगणना नगर हैं और रामपुर महानगर के उत्तरी और पूर्वी सीमान्त क्षेत्रों में स्थित हैं। 2011 की जनगणना में इन्हें जनगणना नगर (सेंसस टाऊन) का स्तर प्रदान किया गया है। इनकी जनसंख्या क्रमशः 15373 और 8572 व्यक्ति है।

उपरोक्त विवरण के अनुसार 2001 में रामपुर जनपद की कुल नगरीय जनसंख्या 480453 व्यक्ति थी। 2011 में इसमें 108191 व्यक्तियों की सकल वृद्धि दर्ज की गयी। इस प्रकार 2001 से 2011 के दशक में जनपद की नगरीय जनसंख्या में +22.52 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। दूसरी ओर 2001 में जनपद

की ग्रामीण जनसंख्या 1443286 व्यक्ति थी। 2011 में यह बढ़कर 1747172 व्यक्ति हो गयी। इस प्रकार 2011 से 2011 के दशक में जनपद की ग्रामीण जनसंख्या में सकल वृद्धि 303886 व्यक्ति रही जो कि +21.06 प्रतिशत है। इस प्रकार 2001 से 2011 के दशक में ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दी +1.48 प्रतिशत अधिक रही है।

1.4 रामपुर जनपद के नगरों और नगरीय जनसंख्या की समस्याएं—

विकासशील देशों की तरह कृषि प्रधान पृष्ठभूमि वाले रामपुर जनपद की नगरीय जनसंख्या अनेक समस्याओं से जूझ रही है। इनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—

(1) अनियोजित क्षेत्रों की अधिकता— अध्ययन क्षेत्र के नगरों की प्रमुख समस्या पुराने व अनियोजित ढंग से विकसित आवासीय, व्यापारिक, औद्योगिक व अन्य क्षेत्रों की है। रामपुर सहित जनपद के सभी नगरों का क्रमिक विकास अभिगमन की सुविधा वाले ग्रामीण अधिवास (दो राहों—तिराहों या चौराहों युक्त ग्रामीण बस्ती) से ही नगरीय अधिवासों (कस्बा, टाऊन एरिया, नगरपालिका, महानगर पालिका आदि) के रूप में हुआ है। आज से 30—35 वर्ष पूर्व जबकि अधिकांश आधुनिक ईंधन चालित वाहन अनुपस्थित थे तत्समय की जरूरत के अनुसार रामपुर जनपद के नगरों के निवासियों और नगर निकायों ने दुकानों, आवासीय भवनों, सड़कों, गलियों, नालियों, चौराहों, पार्कों आदि का विकास अपनी आर्थिक क्षमता और सुरक्षा की आवश्यकता के अनुसार किया। आज जबकि ईंधन चालित (डीजल—पेट्रोल और बैटरी आदि) कार, मोटर साइकिल, तिपहिया, हल्के व सवारी—भारी मालवाहक वाहन अस्तित्व में आ गए हैं नगरों के प्राचीन क्षेत्र अत्यधिक तंग व असुविधाजनक बन गए हैं। बाजार के आकर्षण के कारण नगरों के पुराने मोहल्ले षट प्रतिशत भवनों (सड़कों व गलियों के सम्मुख व नीचे दुकान और पीछे व ऊपर आवास) के पर्याय बन गए हैं। अब इन क्षेत्रों तक आधुनिक कार व अन्य चार पहिया वाहन सामान्यतः नहीं पहुँच पाते हैं।

साथ ही जो भी गलियां व सड़कें पायी जाती हैं उनमें टेलीफोन व बिजली के खम्भे, ट्रांसफार्मर, पेयजल व दूर संचार की भूमिगत पाइप लाइनें, सीवर की खुली व बन्द नालियां, कचरा पात्र, घरेलू अवशिष्ट जल की निकासी की नालियां आदि भी बनायी गयी हैं जिसने वातावरण को मलिन बस्ती सदृश बना दिया है। रामपुर, टाण्डा, बिलासपुर, षाहाबाद, स्वार, केमरी और मसवासी आदि नगरों में ऐसे सैंकड़ों मोहल्ले व बाजार क्षेत्र हैं। मानसूनी वर्षाकाल में ये नगर और इनके आसपास के ग्रामीण क्षेत्र जलप्लावित हो जाते हैं उस समय नगरीय सीमा की सड़कों और नालियों में जमा बदबूदार कूड़ा—कचरा सवर्त वातावरण को दूषित बना देता है। स्कूल—कालेज की छुट्टी, तीज—त्यौहार, मेला—उत्सव, रैली, प्रदर्शन या किसी प्राकृतिक आपदा के समय इन क्षेत्रों का जनजीवन ठहर सा जाता है।

(2) सघन व तंग बस्तियां— तालिका सं. 02 के अनुसार 1961 और 1971 की जनगणना में रामपुर जनपद में केवल दो नगरों (रामपुर और टाण्डा) को ही नगरीय अधिवास माना गया था। फिर 1981 की जनगणना में बिलासपुर, षाहाबाद, स्वार, केमरी और मसवासी को नगरीय अधिवास का दर्जा प्रदान किया गया। इसका अभिप्राय यह है कि रामपुर और टाण्डा को छोड़कर शेष सभी नगरीय अधिवास ग्रामीण अधिवास थे जो कि समयानुसार व्यापारिक-आर्थिक गतिविधियों और जनसंख्या वृद्धि के कारण नगर की श्रेणियों में शामिल कर लिए गए। परिणामस्वरूप इनमें नगरीय अधःसंरना और नागरिक सुविधाओं जैसे— व्यापारिक और आवासीय क्षेत्रों का परस्पर मिला होना, परिवहन हेतु पर्याप्त चौड़ी व एक दूसरे को समकोण पर काटती सड़कों-गलियों के सुव्यवस्थित संजाल और तरल मल-जल, सीवेज लाईनों का अभाव होना स्वाभाविक ही है। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्र की भूमि का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक होता है। अतः नगरीय अधिकरण, नगर निवासी और निजी कालोनियां विकसित करने वाले संगठन व्यापार व आवासीय क्षेत्रों, स्कूल, कॉलेज, निजी अस्पताल, आषधालय, सार्वजनिक पार्क आदि की आवश्यकता व मानकों के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में भूमि क्रय नहीं कर पाते हैं। उद्योग-व्यापार के छोटे आकार के कारण नगर निवासियों की आय और बचत भी सामान्यतया कम ही होती है जिससे तात्कालिक जरूरत के लिए सस्ती दर पर न्यूनतम भूभाग को क्रय करके उसमें अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान, उद्योग, स्कूल-कालेज और आवास आदि बना लेते हैं।

कालान्तर में आमदनी बढ़ने पर वे अपने प्रतिष्ठानों को धीरे-धीरे बढ़ाते हैं। साथ ही अपने प्रतिष्ठानों को आसपास की सड़क व अन्य पूर्व में बने भवनों से ऊँचे चबूतरे पर बनाकर प्रवेश द्वार पर सड़क की ओर काफी ढालू रैम्प बना देते हैं। इससे नालियां व सड़कें तंग हो जाती हैं। एक-दूसरे से सटाकर मकान-दुकान बनाने से सभी गलियां व सड़कें तंग हो जाती हैं। इस पर भी व्यापारिक क्षेत्रों में दुकानदार अपनी दुकान का काफी सामान दुकान के आगे गली स सड़क पर रख देते हैं तथा अपना वाहन (कार व मोटरसाईकिल आदि) दुकान के बाहर अपने सम्मुख सड़क पर ही खड़ी कर देते हैं। इनसे बचे हुए स्थान पर ग्राहक व आगन्तुक अपना वाहन खड़ा कर देते हैं। इस अस्थायी अतिक्रमण से दिन के समय चौड़ी से चौड़ी सड़कें भी तंग हो जाती हैं। रात्रि के समय यही सड़कें पर्याप्त चौड़ी दिखती हैं। इसके साथ ही पुराने व जर्जर भवनों की मरम्मत, विस्तार और नवीन भवनों, सड़कों गलियों, नालियों का निर्माण कार्य वर्षभर चलता रहता है जो कि परिदृश्य को और भी कष्टकारी और दुष्कर बना देते हैं।

निजी आवासीय क्षेत्रों और उ. प्र. आवस विकास परिषद द्वारा विकसित पूर्णतया आवासीय क्षेत्रों में कुछ समय बाद मूल डिजाइन में परिवर्तन करते हुए हरित पट्टी को समाहित करते हुए भवन स्वामी द्वारा षत- प्रतिषत एरिया भवन के अधीन इस्तेमाल कर लिए जाने के कारण कार आदि चौपहिया वाहन खड़ा करने का स्थान भी नहीं रहता है। इसके साथ ही भवन के अन्दर बने तंग स्थान पर वाहन को अन्दर बाहर

निकालने में भी उसके रगड़ खाने के डर से वाहन स्वामी अपने चौपहिया वाहन को प्रायः घर के निकट सड़क पर ही खड़ा करते हैं। इसी प्रकार जनपद के थोक व्यापार क्षेत्र, अनाज मण्डी, एकाकी उद्योगों, औद्योगिक क्षेत्रों में भी पार्किंग स्थान का सामान्यतया अभाव है। उनके कर्मचारी व मालवाहन वाहन (कार, बस, मिनी बस, ट्रक, टैंकर व अन्य वाहन) भी प्रायः सड़क पर ही पार्क किए जाते हैं। इससे नगरीय अधिवासों की सभी बस्तियां, उप-नगर आदि सामान्यतः तंग व सघन स्वरूप ले लेती हैं।

रामपुर और अन्य नगर जो कि देश के सर्वप्रमुख राजमार्ग दिल्ली-लखनऊ (रा.रा. 109 पूर्ववर्ती रा.रा. 24) आगरा-नैनीताल (रा.रा- 87) पर स्थित हैं सड़कों की अपर्याप्त क्षमता से जूझ रहे हैं। विगत 20-22 वर्षों से इनका लगातार विस्तार और बायपास निर्माण का कार्य चल रहा है। वर्तमान समय में रामपुर महानगर के चारों ओर रिंग रोड और बायपास के चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। जो कि आवागमन में परेशानी का कारण बन रहा है हालांकि निर्माण पूरा होने के बाद इसके अपेक्षित लाभ और सुविधाएं राहगीरों के साथ ही स्थानीय निवासियों को भी मिलेंगे।

(3) वाहनों की बढ़ती संख्या व आवागमन की समस्या- एक जीव व सामाजिक प्राणी और पभोक्ता के रूप में आवागमन मानव समाज की नितान्त प्राकृतिक आवश्यकता होती है। जनसंख्या व आर्थिक विकास के साथ भारत में सर्वाधिक विकास ईंधनचालित वाहन उद्योग- दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया सवारी वाहन और भारी व मालवाहक वाहन, कृषि उपकरण व मशीनरी उद्योग- (बस, ट्रक, ट्रेलर, कन्टेनर, क्रेन, जे0सी0बी0, बुलडोजर, ट्रैक्टर, कम्बईन हारवेस्टर इत्यादि) के निर्माण व व्यापार ने किया है। पूरे भारत भर में इन वाहनों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही है। बैंकिंग व वित्तीय संस्थाओं द्वारा कम ब्याजदर पर वाहन की ऑन रोड कीमत का 80 से 90 प्रतिशत तक ऋण उपलब्ध कराये जाने के कारण मध्यम वर्ग भी आसानी से मोटरसाइकिल व कार आदि खरीद लेता है। नगरीय सीमा में रहने वाले निवासियों के साथ ही विभिन्न कार्यों से प्रतिदिन नगरों में आने वाले ये सभी वाहन उनके स्वामियों द्वारा आवागमन करते समय निजी वाहन नगरों में अवश्य लाए जाते हैं। इसके साथ ही सवारी व मालवाहक वाहन भी जैसे- राज्य सड़क परिवहन निगमों की बसें, मालवाहक वाहन आदि नगरों की सीमाओं से ही गुजरते हैं।

एक अनुमान के अनुसार रामपुर जनपद में (नगरीय व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में) एक लाख मोटर साइकिल व स्कूटर, एक लाख कार, दस हजार सवारी व मालवाहक छोटे बड़े (तिपहिया व चार पहिया ट्रक, बस, मिनी बस, छोटा हाथी, टैम्पो, वैन इत्यादि) हैं। ये सभी वाहन मानव के साथ-साथ उनके घरों, प्रतिष्ठानों, स्कूल-कालेज, ऑफिस, कारखानों के साथ-साथ सड़कों-गलियों में चलते हैं। ये सभी मिलकर ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों की भीड़-भाड़ में और वृद्धि करने के साथ-साथ प्रदूषण और दुर्घटनाओं में वृद्धि करके अध्ययन क्षेत्र के मानव संसाधनों को असहनीय कष्ट व हानि पहुँचा रहे हैं।

(4) नगरीय प्रदूषण— देश में पर्यावरण के प्रति लापरवाही और उदासीनता, मानव की अज्ञानता और जिम्मेदारी व दायित्वों के खिसकाऊ प्रवृत्ति से पर्यावरण संकट और विविध प्रकार के प्रदूषणों की विकट समस्याएं उभरी हैं। अध्ययन क्षेत्र रामपुर जनपद के अधिवास (ग्रामीण और नगरीय) भी इनसे अछूते नहीं हैं। जनपद के नगरीय क्षेत्रों में ठोस, तरल, गैसीय, दुर्गन्धीय, धातु, प्लास्टिक, इलैक्ट्रॉनिक आदि अनेक प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करने वाले सभी कारक उपस्थित हैं। अध्ययन क्षेत्र के सभी नगरों में निवास कर रही जनसंख्या प्रति दिन करोड़ों लीटर मल-जल का निष्कर्षण करती है जो कि घरों के भीतर बने भूमिगत गड्ढों में जमा हो रहा है। अध्ययन क्षेत्र के एक मात्र रामपुर महानगर में सीवर ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित है जो कि अभी तक शहर के सभी भागों से जुड़ नहीं पाया है।

जनपद के सभी नगरों की नालियों में घरेलू तरल व ठोस मल-जल, पशुओं का गोबर, घरेलू ककूड़ा- कचरा, मृत जीवों के अवशेष बहते रहते हैं। समतल मैदानी सतह के चलते सामान्यतया जलनिकासी की नालियों में ढाल का अभाव होने के कारण बहाव की दर काफी कम होती है। इस कारण इनमें कीचड़ व गाद की मात्रा जल्दी जमा हो जाती है। निरन्तर सफाई न होने के कारण खासकर वर्षाकाल में इनमें जमा गंदगी सड़कों और निचले फर्ष वाले घरों में व खाली प्लाटों में भर जाती है। व्यापारिक क्षेत्रों व मार्केट के मुख्य भागों में दुकानदारों व भवन स्वामियों द्वारा नाली पर स्लैब डालकर उन्हें बन्द कर दिया जाता है तथा भवन का विस्तार करते समय नालियों को भवन के अन्दर ले लिया जाता है। ऐसी दशा में उनकी सफाई नहीं हो पाती है। रामपुर नगर में ही नगरवासियों व आगन्तुकों द्वारा प्रतिदिन हजारों टन ठोस सूखा व गीला कचरा उत्पन्न किया जाता है जिसे ट्रचिंग ग्राउण्ड तक पहुँचाना नगर निगम और उसके सफाईकर्मी दल को भारी पड़ता है। नगर की सीमा में चलने वाले, नगर से होकर चहुँ दिशाओं की ओर गुजरने वाले लाखों नए-पुराने, सवारी व मालवाहक वाहनों, रेलगाड़ियों, ट्रकों, बसों आदि द्वारा हानिकारक विषैली गैसों वातावरण में छोड़ी जाती हैं। जनपद के नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों की तरल गंदगी जनपद की नदियों, झीलें, तालाबों और भूमिगत जल भण्डारों में पहुँचकर उनको लगातार प्रदूषित कर रही है।

(5) पार्क, खुले स्थान व हरित क्षेत्रों का अभाव— जनपद के नगरीय क्षेत्रों में मानव की प्राकृतिक-पारिस्थितिकीय आवश्यकता-अनिवार्यता के अनुकूल हरे-भरे पार्क, खुले स्थान व हरित मेखलाओं का सामान्यतया अभाव है। जनपद के नगरों की विभिन्न आवासीय कालोनियों में जो भी पार्क व खुले स्थान आदि अवस्थित हैं, उनकी उचित देखभाल और रख-रखाव के अभाव में वे सामान्यतया उपयोगी व घूमने लायक नहीं हैं। इसके इतर ये पार्क व खुले स्थान विभिन्न प्रकार के आयोजनों के स्थान बनकर रह गए हैं। रामपुर महानगर सहित सभी नगरों के पुराने भागों जहाँ फुटकर बाजार और आवासीय क्षेत्र एकीकृत रूप में

हैं, में तो स्थिति और भी विकट है। यहाँ पर पार्क व खुले स्थानों का पूर्णतया अभाव है। नगर निगम और आवास विकास परिषद द्वारा विकसित आवासीय कालोनियों में मानक के अनुसार सड़कों के किनारे जो हरित मेखला तैयार की जाती है, देख-रेख व सख्त कानून के अभाव में वहाँ के निवासी उनमें अतिक्रमण करके, वृक्षों को काटकर उस पर अपने परिसर का प्रसार कर लिये हैं। अधिकतर पार्क व खुले सार्वजनिक स्थान वाहनों के पार्किंग और घरेलू कूड़ा डलाव घर, आवारा चौपाए पशुओं के आश्रय स्थल के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं।

(6) शुद्ध पेय जलापूर्ति की समस्या— नगरीय केन्द्रों में अपेक्षाकृत कम भूभाग पर अधिक जनसंख्या निवास करती है, अतः नगरवासियों की स्वच्छ जल की माँग भी अधिक होती है। साथ ही व्यावसायिक, औद्योगिक, प्रशासनिक, शिक्षा, स्वास्थ्य और विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों की जल की माँग भी अधिक होती है। जल की यह पूर्ति भूमिगत जल से ही विविध रूपों में की जाती है। इनमें निजी हैंडपम्प (हस्तचालित व विद्युत मोटर चालित) लगाकर जलापूर्ति करना प्रत्येक परिवार द्वारा संभव नहीं हो पाती है। इसलिए नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति नगरीय निकाय द्वारा पूरे नगरीय क्षेत्र में पाईपलाईन बिछाकर की जाती है। नगरीय परिवेश के अनुसार रामपुर जनपद के सभी नगरों के भौगोलिक विस्तार और जनसंख्या वृद्धि तथा अधिकाधिक क्षेत्र भवनों, गलियों, सड़कों के रूप में कंक्रीट से कवर कर दिए जाने के कारण नगरीय क्षेत्रों में भूगर्भ में जल का पुनर्संभरण (Ground Water Recharge) की दर भी कम होती है। कृषि, औद्योगिक और नगरीय प्रदूषक तत्व भूगर्भ में काफी गहराई तक प्रविष्ट कर गए हैं। अतः भूगर्भ की उपरी सतह का जल पीने योग्य भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में नगर सीमा में निवासरत सभी लोगों, प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, उद्योगों आदि को स्वच्छ जल की समुचित मात्रा में उपलब्ध कराना दिन-प्रतिदिन दुष्कर होता जा रहा है।

(7) घरेलू तरल व ठोस अवशिष्टों के निस्तारण की समस्या— यह भारत सहित सभी विकासशील देशों की बहुत ही गंभीर समस्या है। तकनीकी व आवश्यक अधःसंरचना के अभाव में अध्ययन क्षेत्र के नगरों से निस्सृत सभी प्रकार का कूड़ा-कचरा नगरों की सीमा के भीतर या बाहर खुले स्थानों पर डम्प कर दिया जाता है। रामपुर महानगर सहित जनपद के सभी नगरों के बाहर की सभी सड़कों के किनारे नगर निकायों द्वारा फेंके गए कूड़े के ढेर पाए जाते हैं। यहाँ पर भोजन ढूँढते आवारा कुत्तों, चील-कौवा, गाय तथा अन्य पशु मंडराते रहते हैं। वर्षाकाल में यह कूड़ा सड़कभर में गंदगी के रूप में फैल जाता है। यही नहीं गर्मी के दिनों में तेज हवाओं के साथ इन कूड़ा क्षेत्रों में पड़े सड़े-गले कागज, प्लास्टिक, धूल और अन्य हानिकारक तत्व वातावरण में उड़कर दूर तक पहुँच जाते हैं। कूड़ों के हजारों टन कचरे से आस-पास के गाँवों में रहने वाले निवासियों का बुरा हाल है। अनेक तरह की त्वचा सम्बन्धी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा

है और कूड़ा डलाव घरों के निकट रहने वाले निवासियों, पशु-पक्षियों और खेती की भूमि का क्षरण हो रहा है।

(8) ग्रामीण क्षेत्र से नगरों की ओर प्रवास— आज के असमान विकास की सर्वव्यापी समस्या कामगारों का ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर प्रवास है। विकास प्रतिरूप के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय क्षेत्र की विकास दर अधिक है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण हमारे देश की सरकारें (केन्द्र व राज्य) जनसंख्या की आर्थिक व सामाजिक जरूरतें पूरी करने व संसाधनों के समान वितरण के लक्ष्य को हासिल करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई हैं। आजीविका, शिक्षा, व्यापार, सुरक्षा, नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता आदि सहित अनेकानेक कारकों के समुच्चयकारी प्रभाव के चलते ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या नगरीय केन्द्रों की ओर आकर्षित होकर दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आदि रूप से नगर की ओर आती है तथा अपने घरों को लौट जाती है। इनमें से बहुत से लोग धीरे-धीरे नगरीय क्षेत्रों में ही बस जाते हैं। इससे नगरीय क्षेत्र पर जनसंख्या व उसकी विविध आवश्यकताओं का भार बढ़ जाता है। रामपुर जनपद में भी जनसंख्या के प्रवास की यह प्रवृत्ति सहजता से पहचानी जा सकती है। इसका सबसे प्रथम प्रभाव जनपद के नगरीय व उनके समीपवर्ती क्षेत्रों की भूमि की कीमत पर पड़ा है। नगरीय क्षेत्रों में भीड़-भाड़ बढ़ी है जिससे अनेक प्रकार की समस्याओं का जन्म होता है। जनपद के बड़े नगरीय केन्द्रों— रामपुर, टाण्डा, बिलासपुर, षाहाबाद आदि की ओर बाहरी व ग्रामीण निकटवर्ती क्षेत्रों, छोटे कस्बों से दैनिक कर्मकारों, खरीददारों, छात्र-छात्राओं, मरीजों, दूध, साग-सब्जी, अनाज व अन्य सामान विक्रेताओं आदि के आने से दिन के समय व प्रशासनिक कार्यावधि (प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक) के समय सभी नगरीय केन्द्रों की जनसंख्या उनकी वास्तविक जनसंख्या से कई गुना बढ़ जाती है। रात्रिकाल में इनके वापस अपने ग्रामीण क्षेत्र की ओर लौट जाने से नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या काफी कम हो जाती है। किसी मेला, उत्सव, त्यौहार, धार्मिक व सांस्कृतिक समागम, रैली, धरना— प्रदर्शन आदि विशेष अवसरों पर आस-पास के ग्रामीणों के नगरों की ओर आने से तो नगरीय जीवन ठहर सा जाता है।

(9) नागरिक सेवाओं व सुविधाओं की अल्पता— उपरोक्त के साथ ही विभिन्न अन्य कारणों से ऊँची लागत के बाद भी नगर निकाय व नगरीय प्राधिकरण दिनों-दिन अपने नागरिकों की सामान्य नागरिक सुविधाओं की आपूर्ति व सन्तुष्टि करने में विफल हो रहे हैं। 24 घण्टे स्वच्छ पेयजलापूर्ति, विद्युतापूर्ति, सुगम व सस्ता यातायात, सुरक्षा, शान्ति, सड़कों व गलियों की साफ-सफाई, मच्छरों, कीटों, महामारियों से सुरक्षा, समुचित वृक्षावरण, प्रदूषण नियन्त्रण करके स्वच्छ वायु इत्यादि उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। रामपुर महानगर के कुछ भागों को छोड़कर किसी भी नगर के किसी भी क्षेत्र में 22 घण्टे अवाधित विद्युतापूर्ति नहीं हो पा रही है।

अध्ययन क्षेत्र के छोटे नगर तो 16 से 18 घण्टा ही विद्युत आपूर्ति प्राप्त करते हैं। पेयजल की आपूर्ति तो रामपुर महानगर में भी सुबह-षाम को 4-4 घण्टा ही हो पाती है।

1.5 समाधान के उपाय व सुझाव—

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के नगरीय अधिवास, उनके निवासी, आगन्तुक आदि विभिन्न समस्याओं से पीड़ित हैं। महंगाई, तेजी से बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी, राजनीतिक व प्रशासनिक अवसरवादी परिवेश, अधिका, अज्ञानता, कृषि पर निर्भरता, दूरदृष्टि का अभाव आदि अनेक कारक उन समस्याओं को और गंभीर बना रहे हैं। यदि समय रहते इन समस्याओं पर नियन्त्रण करके प्रभावशाली समाधान नहीं निकाला गया तो ये समस्याएं दिनोंदिन और गंभीर होती जाएंगी। शोधार्थी के अनुसार उपरोक्त वर्णित समस्याओं के समाधान, जिम्मेदार व दक्ष मानव संसाधन निर्माण और बेहतर वातावरण निर्माण के लिए निम्न उपाय व रणनीति अपनाना और उन पर प्रभावी अमल करना सार्थक व प्रसांगिक होगा।

- (1) जनपद व नगरीय निकायों की नागरिक, पुलिस व प्रशासनिक व्यवस्था की दक्षता में सुधार व स्थापित नियमों-विनियमों—प्रावधानों का कड़ाई बिना-भेदभाव के क्रियान्वयन करना।
- (2) भवन निर्माण से सम्बन्धित सभी प्रकार के अतिक्रमणों व नियमों के उलंघन पर प्रभावी नियन्त्रण।
- (3) प्रवास को रोकने के लिए निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक व सामान्य सुविधाओं जैसे— 24 घंटा विद्युत आपूर्ति, उत्तम शिक्षा, स्वास्थ्य व चिकित्सा, सुरक्षा परिवेश का विकास करना।
- (4) कृषि व अन्य ग्रामीण उपजों से सम्बन्धित बाजारों-मण्डी स्थलों का ग्रामीण क्षेत्र में विकास करना।
- (5) आधुनिक तकनीकी व संसाधनों से युक्त क्षमतावान सीवेज ट्रीटमेन्ट व अन्य ठोस-तरल अवशिष्ट निस्तारण के संयन्त्रों की स्थापना करना।
- (6) निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी आयवर्द्धक रोजगार अवसरों में वृद्धि करना।
- (7) परिवार नियोजन व जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियन्त्रण लगाना।
- (8) ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक अधःसंरचना जैसे— सड़कें व अन्य नागरिक सुविधाओं का विकास करना।

उपरोक्त विप्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय परिदृश्य के अनुरूप रामपुर जनपद के नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या व पर्यावरण सम्बन्धी अनेक गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। यदि समय रहते इन पर नियन्त्रण की कोई ठोस नीति नहीं अपनायी गयी तो ये समस्याएं और विकराल रूप धारण कर लेंगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. चान्दना, आर० सी० : जनसंख्या भूगोल, कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली, पुनर्मुद्रित, 2006।
2. हीरा लाल : जनसंख्या भूगोल, वसुन्धरा प्रकाशन, गोरखपुर।
3. सिंह एवं दूबे : प्रादेशिक विकास नियोजन, तारा बुक एजेन्सी, वाराणसी
4. एस. सी. बंसल : नगरीय भूगोल, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ 1998।
5. एस. डी. कौषिक 1997 : मानव भूगोल, रस्तोगी प्रकाशन, मेरठ।
6. चौहान एवं गौतम : भारत का भूगोल, रस्तोगी प्रकाशन, मेरठ 2012।
- 7- Bala, R. : Trends in Urbanization in India, Rawat Publications, Jaipur, 1968
- 8- Singh, R. L. : India: A Regional Geography, NGSI, Varanasi, 1971.
- 9- Singh, R. Y. : Geogrphey of Settlements, Rawat Publications Jaipur, 1994.
- 10- Gosal, G. S. : Internal Migration in India- a Regional Analysis, Indian Geographical Journal, Vol. 36.

विशेष सामग्री—

- i- भारत की जनगणना 2001, 2011
- ii- रामपुर जिले की आधिकारिक वेबसाइटें और सांख्यिकीय पत्रिकाएं।
- iii- स्थानीय व राष्ट्रीय समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि।
- iv- रामपुर जनपद प्राथमिक जनगणना सार हस्तपुस्तिका भाग 12 अ एवं ब
- v- AQUIFER MAPPING AND MANAGEMENT OF GROUND WATER RESOURCES RAMPUR DISTRICT, UTTAR PRADESH, 2021 Northern Region, Faridabad (NCR)
- vi- Central Ground Water Board, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti Government of India, Faridabad (NCR)
- vii- Handbook of Urban Statistics 2019 Govt. of India
- viii- Census of India 2011, Administrative Atlas Uttar Pradesh, Vol. I, II, III. Govt. of India
- ix- Statistical Diary Uttar Pradesh 2018, Economic and Statistics Division State Planning Institute, Planning Department (UP)